न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019 / 00148

दायरा दिनांक : 30.07.2019

उनवान

1– भंवरलाल पुत्र नाराण, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2– कल्याण पुत्र नाराण, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
3– चन्दा बाई उर्फ चन्द्रकला पुत्री नाराण पत्नी गुड्डू, जाति मीणा, निवासी अरनिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
4– श्यानी बेवा नाराण, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– देवलाल पुत्र भैरूलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2– हीरालाल पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
3– घनश्याम पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
4– जाना बाई पत्नी औंकार पत्नी पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5– पानाबाई पत्नी नवल किशोर पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी मोरेली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6– काली बाई पत्नी जगन्नाथ, पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7– धापू बाई पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8– शांति बाई पत्नी बाबूलाल पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
9– कैलाशी बाई पत्नी छगनलाल पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी दुर्गा मन्दिर के पास अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10– शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा कोटा, जिला कोटा
11– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019 / 00121

दायरा दिनांक : 01.07.2019

उनवान

1– भंवरलाल पुत्र नाराण, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2– कल्याण पुत्र नाराण, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
3– चन्दा बाई उर्फ चन्द्रकला पुत्री नाराण पत्नी गुड्डू, जाति मीणा, निवासी अरनिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
4– श्यानी बेवा नाराण, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– देवलाल पुत्र भैरूलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2– हीरालाल पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
3– धनश्याम पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
4– जाना बाई पत्नी औंकार पत्नी पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5– पानाबाई पत्नी नवल किशोर पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी मोरेली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6– काली बाई पत्नी जगन्नाथ, पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7– धापू बाई पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8– शांति बाई पत्नी बाबूलाल पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
9– कैलाशी बाई पत्नी छगनलाल पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी दुर्गा मन्दिर के पास अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10– शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा कोटा, जिला कोटा
11– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019 / 00120

दायरा दिनांक : 01.07.2019

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उनवान

1– भंवरलाल पुत्र नाराण, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2– कल्याण पुत्र नाराण, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
3– चन्दा बाई उर्फ चन्द्रकला पुत्री नाराण पत्नी गुड्डू, जाति मीणा, निवासी अरनिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
4– श्यानी बेवा नाराण, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– देवलाल पुत्र भैरूलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2– हीरालाल पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
3– घनश्याम पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
4– जाना बाई पत्नी औंकार पत्नी पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5– पानाबाई पत्नी नवल किशोर पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी मोरेली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6– काली बाई पत्नी जगन्नाथ, पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7– धापू बाई पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8– शांति बाई पत्नी बाबूलाल पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
9– कैलाशी बाई पत्नी छगनलाल पुत्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी दुर्गा मन्दिर के पास अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10– शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा कोटा, जिला कोटा
11– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ कोटा ★ राजस्थान

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री सी. पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री योगेश कुमार शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 10 की ओर से

निर्णय दिनांक : **26.03.2024**

ये तीनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये तीनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 129/वाजदायर/14 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.12.2017 संशोधित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.01.2018 तथा संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 25.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

तीनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में देवलाल वल्द भैरूलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कोली, पटवार हल्का गुलखेडी, तहसील अकलेरा के माल में खेवट खतौनी संख्या नयी 106 पुरानी 18 की खसरा नम्बरान क्रमशः 98 की 3 बीघा, 99 की 4 बीघा 2 बिस्वा, 100 की 4 बीघा 4 बिस्वा, 101 की 7 बीघा 12 बिस्वा, 105 की 2 बीघा 3 बिस्वा, 190 की 2 बीघा 13 बिस्वा, 191 की 3 बीघा 13 बिस्वा, 192 की 3 बीघा, 348 की 2 बीघा 19 बिस्वा, 490 की 4 बीघा 9 बिस्वा, 491 की 3 बिस्वा, 492 की 1 बीघा, 494 की 1 बीघा 16 बिस्वा, 495 की 7 बिस्वा, 496 की 2 बीघा 2 बिस्वा, 518 की 2 बीघा 6 बिस्वा, 519 की 7 बीघा 9 बिस्वा, 520 की 12 बिस्वा, 521 की 2 बीघा 5 बिस्वा, 530 की 2 बिस्वा, 531 की 2 बीघा 14 बिस्वा, 576 की 16 बिस्वा कुल 22 किता की 59 बीघा 7 बिस्वा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामिल खाते में स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा निहित है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.12.2017 से काउन्टर क्लेम खारिज कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोली, पटवार हल्का गुलखेडी, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या नई 106 पुरानी 18 की खसरा नम्बरान क्रमशः 98 की 3 बीघा,

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

99 की 4 बीघा 2 बिस्वा, 100 की 4 बीघा 4 बिस्वा, 101 की 7 बीघा 12 बिस्वा, 105 की 2 बीघा 3 बिस्वा, 190 की 2 बीघा 13 बिस्वा, 191 की 3 बीघा 13 बिस्वा, 192 की 3 बीघा, 348 की 2 बीघा 19 बिस्वा, 490 की 4 बीघा 9 बिस्वा, 491 की 3 बिस्वा, 492 की 1 बीघा, 494 की 1 बीघा 16 बिस्वा, 495 की 7 बिस्वा, 496 की 2 बीघा 2 बिस्वा, 518 की 2 बीघा 6 बिस्वा, 519 की 7 बीघा 9 बिस्वा, 520 की 12 बिस्वा, 521 की 2 बीघा 5 बिस्वा, 530 की 2 बिस्वा, 531 की 2 बीघा 14 बिस्वा, 576 की 16 बिस्वा कुल 22 किता की 59.07 बीघा आराजी से रेलवे में अवाप्त भूमि में से वादी का हिस्सा कम कर शेष भूमि में से वादी का हिस्सा 1/3 पृथक खाता दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करें। वादनी फाइनल डिक्री हेतु नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करें। वाद का खर्चा वादनी स्वयं वहन करेगी। बैंक रहन यथावत रहेगा।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2017 में रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर संशोधित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.01.2018 से ग्राम कोली, पटवार हल्का गुलखेडी, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या नई 106 पुरानी 18 की खसरा नम्बरान क्रमशः 98 की 3 बीघा, 99 की 4 बीघा 2 बिस्वा, 100 की 4 बीघा 4 बिस्वा, 101 की 7 बीघा 12 बिस्वा, 105 की 2 बीघा 3 बिस्वा, 190 की 2 बीघा 13 बिस्वा, 191 की 3 बीघा 13 बिस्वा, 192 की 3 बीघा, 348 की 2 बीघा 19 बिस्वा, 490 की 4 बीघा 9 बिस्वा, 491 की 3 बिस्वा, 492 की 1 बीघा, 494 की 1 बीघा 16 बिस्वा, 495 की 7 बिस्वा, 496 की 2 बीघा 2 बिस्वा, 518 की 2 बीघा 6 बिस्वा, 519 की 7 बीघा 9 बिस्वा, 520 की 12 बिस्वा, 521 की 2 बीघा 5 बिस्वा, 530 की 2 बिस्वा, 531 की 2 बीघा 14 बिस्वा, 576 की 16 बिस्वा कुल 22 किता की 59.07 बीघा आराजी से राष्ट्रीय राज मार्ग में अवाप्त भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में से कम कर शेष भूमि में से वादी व प्रतिवादी 10 ता 13 का हिस्सा 1/3–1/3 पृथक–पृथक खाता दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करें। वादी फाईनल डिक्री हेतु नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करें। वाद का खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। बैंक रहन यथावत रहेगा।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 25.01.2019 से आदेश दिया कि ग्राम कोली, पटवार हल्का गुलखेडी, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या नई 106 पुरानी 18 की 22 किता की 59.07 बीघा आराजी से राष्ट्रीय राज मार्ग में अवाप्त भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में से कम कर शेष भूमि में से वादी व प्रतिवादी 10 ता 13 का हिस्सा 1/3–1/3 निम्न प्रकार से पृथक खाते दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादीगण को कब्जा आराजी संभलाया जावे। बैंक रहन का नोट हो तो यथावत दर्ज रहेगा। वाद का खर्चा वादी स्वयं करेंगे, जिससे अप्रसन्न होकर उक्त तीनों अपीले पेश की।

ग्राम –कोली
हिस्सा वादी देवललाल पुत्र भैरूलाल, जाति मीना

खसरा नं.	रकबा	किस्म	दिशा
105	2.03	बीड प्रथम	सम्पूर्ण
192	2.14	बारानी दोयम	सम्पूर्ण
492	1.00	खेडा प्रथम	सम्पूर्ण
691/98	0.17	बारानी दोयम	सम्पूर्ण
693/99	2.01	बारानी दोयम	सम्पूर्ण
695/100	2.02	बारानी दोयम	सम्पूर्ण
697/101	3.16	बारानी प्रथम	सम्पूर्ण
699/190	1.07	बीड दोयम	सम्पूर्ण
701/521	1.03	चाही प्रथम	सम्पूर्ण
703/518	1.05	बीड प्रथम	सम्पूर्ण
705/576	0.08	चाही प्रथम	सम्पूर्ण
कुल किता 11	18.16 बीघा	–	–

ग्राम –कोली
हिस्सा प्रतिवादीगण 10 ता 13 भंवरलाल, कल्याण पुत्र नाराण, चन्दाबाई पुत्री नाराण, श्यानीबाई बेवा नाराण, जाति मीना, निवासी कोली

खसरा नं.	रकबा	किस्म	दिशा
98	0.18	बारानी दोयम	सम्पूर्ण
99	2.01	बारानी दोयम	सम्पूर्ण
100	2.02	बारानी दोयम	सम्पूर्ण
101	3.16	बारानी प्रथम	सम्पूर्ण
190	0.13	बीड दोयम	दक्षिण
191	1.16	बारानी दोयम	दक्षिण
494	1.16	खेडा प्रथम	सम्पूर्ण
521	1.02	चाही प्रथम	सम्पूर्ण

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

348	1.10	बीड प्रथम	पश्चिम
490	2.04	खेडा प्रथम	दक्षिण
518	0.06	बीड प्रथम	पश्चिम
519	0.17	माल प्रथम	पश्चिम
कुल किता 12	19.01 बीघा	–	–

ग्राम –कोली

हिस्सा प्रतिवादीगण 1 ता 9 हीरालाल, घनश्याम पुत्र कंवरलाल, जानाबाई, पानाबाई, कालीबाई, धापूबाई, शान्तिबाई, कैलाशबाई पिसरान कंवरलाल, भंवरीबाई बेवा कंवरलाल, निवासी कोली

खसरा नं.	रकबा	किस्म	दिशा
190/1	0.13	बीड दोयम	उत्तर
191/1	1.17	बारानी दोयम	उत्तर
348/1	1.09	बीड प्रथम	पूर्व
490/1	2.05	खेडा प्रथम	उत्तर
491	0.03	गै0मु0झादा	सम्पूर्ण
495	0.07	गै0मु0बावडी	सम्पूर्ण
496	2.02	खेडा प्रथम	सम्पूर्ण
518/1	0.15	बीड प्रथम	पूर्व
519/1	5.14	माल प्रथम	पूर्व
520	0.12	चाही प्रथम	सम्पूर्ण
530	0.02	गै0मु0चाह	सम्पूर्ण
531	2.14	चाही प्रथम	सम्पूर्ण
576	0.08	चाही प्रथम	सम्पूर्ण
कुल किता 12	19.01 बीघा	–	–

इस न्यायालय में प्रस्तुत तीनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

अपील संख्या 2019/00148 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी 59 बीघा 7 बिस्वा आराजी वाके ग्राम खोली के मामले में रेस्पोडेंट कम 1/वादी देवलाल का 1/3 हिस्सा करने का आदेश पारित किया था, परन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.2009 एवं 11.03.2010 के विरूद्ध अपील पेश होने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2013 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण इस दिशा निर्देश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.11.2013 में वर्णित दिशा निर्देश की कोई पालना नहीं की गई। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी का रकबा 60 बीघा 1 बिस्वा था। इसमें खसरा नम्बर 497 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी भी सम्मिलित थी, परन्तु रेस्पोडेंट/वादी देवलाल ने खसरा नम्बर 497 की 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी दिनांक 05.06.1982 को हीरालाल पुत्र कंवरलाल को बेचान कर दी और यह आराजी नामान्तरकरण नं. 99 दिनांक 28.11.1985 के जर्ये हीरालाल के खाते दर्ज कर दी गई, ऐसी स्थिति में दावे में वर्णित आराजी का रकबा 59 बीघा 7 बिस्वा रह गया। वादी ने विवादित आराजी के मामले में जो दावा पेश किया उसमें खसरा नं. 497 की आराजी के बेचान के तथ्य छिपाये हैं और शेष बची आराजी 59 बीघा 7 बिस्वा में भी 1/3 हिस्से की डिक्री प्राप्त कर ली है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं. 497 की आराजी वादी रेस्पोडेंट देवलाल के हिस्से में समायोजन करते हुए स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए था, यह तथ्य माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में भी आया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 497 की आराजी के मामले में कोई फाईन्डिंग नहीं दी। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा काउण्टर क्लेम पेश किया था, परन्तु निर्णय से कोई तनकीयात कायम करना जाहिर नहीं होता है और निर्णय भी सिविल प्रकिया संहिता के नियमों के पूर्णतया विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी भंवरी बाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके कायम मुकामान रिकार्ड पर मौजूद है, इसलिए भंवरी बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.12.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण माननीय न्यायालय के पूर्व दिशा निर्देशों की पालना एवं सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रकरण पुनः निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

अपील संख्या 2019/00121 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम खोली, तहसील अकलेरा के माल की कुल 22 किता की 59 बीघा 7 बिस्वा आराजी के मामले में रेस्पोडेंट/वादी देवलाल के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 47 नियम 1 जाब्ता दीवानी बाबत रिव्यू किये जाने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2017 स्वीकार कर पुनः निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2018 कानूनी प्रावधानों के विपरीत जारी करने में त्रुटि की है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पर रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है, सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाते हैं। उसके बाद ही रिव्यू प्रार्थना पत्र पर सुनवायी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू प्रार्थना पत्र पर समस्त प्रतिवादीगण को तलब नहीं किया और एक तरफा रूप से निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2017 को रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जो रिव्यू के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट देवलाल द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत रिव्यू दिनांक 19.01.2018 को पेश किया और यह मानते हुए कि वादी को संशोधन में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। निर्णय पारित कर दिया, जबकि सम्पूर्ण प्रतिवादीगण की कोई सहमति नहीं थी और न ही उनको तलब किया गया एवं अपीलांट कल्याण के भी आदेशिका दिनांक 10.01.2018 पर उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर किये थे, रिव्यू प्रार्थना पत्र पर कोई सहमति नहीं दी गई और न ही सहमति लिखित में दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू के बारे में आर्डर 47 रूल 1 सी. पी. सी. के प्रावधानों को समझने में त्रुटि की है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में रिव्यू के संबंध में धारा 229 में अलग से प्रावधान दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट कम 1 वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के रिव्यू के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत पेश नहीं होने से प्रार्थना पत्र ही चलने योग्य नहीं था। प्रतिवादी भंवरी फोत हो चुकी है, उसके का0 मु0 प्रतिवादी 1, 2 रेकार्ड पर हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2018 निरस्त फरमायी जावे।

अपील संख्या 2019/00120 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आदेश एवं फाईनल डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजी ग्राम गुलखेडी, तहसील अकलेरा की कुल 22 किता की 59 बीघा 7 बिस्वा आराजी के मामले में दिनांक 21.01.2018 को फाईनल डिक्री जारी कर पत्रावली दफ्तर दाखिल कर दी थी, परन्तु अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही पत्रावली दिनांक 12.11.2018 को पेशी में लेकर दिनांक 25.01.2019 को पुनः फाईनल डिक्री जारी करने का आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। आदेश एवं फाईनल डिक्री दिनांक 25.01.2019 कानूनी प्रावधानों एवं बंटवारे के नियमों के पूर्णतया विपरीत है। फाईनल डिक्री का आदेश मात्र केवल वादी/रेस्पोडेंट कम 1 की सहमति के आधार पर पारित किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट को आपत्ति पेश करने का और सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया जो बंटवारे के नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत है। वक्त पेपर पार्टीशन भी मौके पर आई. एल. आर. के द्वारा अपीलांट को नहीं बुलाया और न ही किसी अन्य पक्षकारों को बुलाया, केवल वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने अपनी इच्छानुसार पेपर पार्टीशन रिपोर्ट बनवा ली और रेस्पोडेंट देवलाल ही अकेला उपस्थित था। बंटवारे के नियम के मुताबिक पेपर पार्टीशन रिपोर्ट आई. एल. आर. को तहसीलदार की मौजूदगी में बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार पेपर पार्टीशन रिर्पोट दिनांक 10.01.2019 बंटवारे के नियमों के पूर्णतया विपरीत है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक जब एक बार प्रारम्भिक डिक्री पारित हो जाती है, तदानुसार फाईनल डिक्री पारित हो जाती है जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.08.2018 से स्पष्ट है। फाईनल डिक्री के बाद पत्रावली ड्रोप कर दी गई तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री में रिव्यू प्रार्थना पत्र एक तरफा स्वीकार कर किसी भी तरह के संशोधन से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। संशोधन के द्वारा क्लेरिकम मिस्टेक ही ठीक की जा सकती है। विवादित आराजी का पूर्व में रकबा 60 बीघा 1 बिस्वा था जिसमें से रेस्पोडेंट कम 1/वादी देवलाल पुत्र भैरूलाल ने खसरा नम्बर 497 की 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1982 को हीरालाल पुत्र कंवरलाल नाम के व्यक्ति को बेचान कर दी थी, परन्तु बेचान के तथ्य छिपाकर शेष बची 59 बीघा 7 बिस्वा आराजी के बारे में बंटवारे का वाद पेश कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.12.2017 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी, एवं अवैधानिक रूप से संशोधित निर्णय व डिक्री भी दिनांक 19.01.2018 को पारित कर दी, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील पेश कर दी है। प्रतिवादी भंवरी फोत हो चुकी है उसके का0 मु0 प्रतिवादी 1, 2 रेकार्ड पर हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश एवं फाईनल डिक्री दिनांक 25.01.2019 निरस्त फरमायी जावे।

तीनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.06.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

तीनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में 2023(1) आर.आर.टी. पेज 2019, 2022 (2) आर.आर.टी. पेज 988, 2022 (1) आर.आर.टी. पेज 390 व 2023 (2) आर.आर.टी. पेज 1040 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्षीय बहस सुनी। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया।

अपील संख्या 2019/00148 (प्राथमिक डिक्री) में अपीलांट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने जो निर्णय पारित किया है उसमें खसरा नम्बर 497 की आराजी बाबत उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय दिनांक 13.12.2017 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 497 की 0.14 बीघा आराजी बाबत जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रतिवादी नं. 10 ता 13 की ओर से पेश किया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी अपने साक्ष्य में केवल स्टाम्प के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं । प्रतिवादी द्वारा उक्त स्टाम्प को सिद्ध करने हेतु न तो स्टाम्प के गवाहों के बयान करवाये और न ही ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया जिससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी द्वारा विधि पूर्वक वर्णित आराजी में से वादी के हिस्से की 0.14 बीघा आराजी को खरीद किया गया है। मात्र कब्जे के आधार पर प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा प्रतिवादीगण 10 लगायत 13 का काउंटर क्लेम खारिज किया और वादी देवलाल का वाद डिक्री कर आदेश दिया कि ग्राम कोली, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या नई 106 पुरानी 18 की कुल 22 किता की 59.07 बीघा आराजी से रेल्वे में अवाप्त भूमि में से वादी का हिस्सा कम कर शेष भूमि में से वादी का हिस्सा 1/3 पृथक खाता दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं कि उक्त निर्णय में कुल 22 किता की 59.07 बीघा आराजी में जो आराजी रेल्वे में अवाप्त बतायी है वह राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त आराजी है। राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त भूमि वादग्रस्त आराजी में से वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के हिस्से में से कम कर शेष भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 का हिस्सानुसार पृथक–पृथक खाता दर्ज किया जावे तथा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जावे।

अपील संख्या 2019/00121 (संशोधित प्राथमिक डिक्री) में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट देवलाल द्वारा प्रार्थना पत्र रिव्यू दिनांक 19.01.2018 पेश किया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र भंवरलाल, कल्याण, चंदा बाई, श्यानी बाई बेवा नाराण द्वारा पेश किया गया है। अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य सारभूत बिन्दुओं पर अंकित नहीं होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं। रिव्यू (आदेश 47) में हस्ताक्षरित निर्णय सुनाने के बाद आकस्मिक भूल या आकस्मिक लोप से उपजी लेखन या अंकगणितीय भूल में सुधार को छोड़कर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में परितर्वन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा।

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से पूर्व प्रतिवादीगण को नोटिस देना आवश्यक होता है ताकि वह उस डिक्री या आदेश के समर्थन में अपनी बात रख सके जिसके विरूद्ध पुनर्विलोकन (रिव्यू) का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त अपील में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रतिवादीगण 10 लगायत 13 ने दिनांक 19.01.2018 को आर्डर 47 नियम 1 जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र बाबत रिव्यू पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस तामील नहीं किये गये एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फैसले का मूल स्वरूप ही बदल दिया। अतः

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.01.2018 रिव्यू के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अपील संख्या 2019/00120 (संशोधित फाईनल डिक्री) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.01.2018 पर आधारित है। उक्त निर्णय के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री दिनांक 21.08.2018 तथा संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 25.01.2019 पारित की गई है। अपील संख्या 2019/00121 रिव्यू के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने के कारण अपील संख्या 2019/00120 भी निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 2019/00148 (प्राथमिक डिक्री) आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.12.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम कोली, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या नई 106 पुरानी 18 की कुल 22 किता की 59.07 बीघा आराजी से राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त वादग्रस्त आराजी में से वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के हिस्से में से कम कर शेष भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 का हिस्सा पृथक–पृथक खाता दर्ज कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें तथा उक्त निर्णय के आधार पर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करावें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.06.2024 को उपस्थित होवें।

अपील संख्या 2019/00121 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संशोधित निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.01.2018 रिव्यू के प्रावधानों के विपरीत होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

अपील संख्या 2019/00120 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री दिनांक 21.08.2018 तथा संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 25.01.2019 पारित की गई है। अपील संख्या 2019/00121 रिव्यू के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने के कारण अपील संख्या 2019/00120 अपील अपीलांट भी खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
26/3/24